न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :— 153 / 2019

प्रार्थीगण

1. हाजी वल्द शेखू
2. सरादीन वल्द शेखू
3. गोराम वल्द शेखू
4. तैयब वल्द शेखू
5. सहूका उर्फ शोकत वल्द शेखू
6. माली वल्द शेखू
7. इसमत पत्नी शेखू

कौम मुसलमान साकिन गोरामाणियों की ढाणी, ग्राम पंचायत नयानगर पटवार मण्डल नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. उपवन संरक्षक बाड़मेर (वन विभाग), बाड़मेर
   आरक्षित भूमि के मालिक
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन पत्र वास्ते तरमीम शुद्धिकरण अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :—1. श्री चिमनसिंह चौधरी वकील प्रार्थीगण

2. उपवन संरक्षक बाड़मेर विप्रार्थी संख्या 01

—:: आदेश ::—

दिनांक :—

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत मौजा गोरामाणियों की ढाणी पटवार मण्डल नगर तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा संख्या 397 / 1 रकबा 62–00 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उक्त भूमि प्रार्थीगण को मूल खसरा संख्या 397 रकबा 685–07 बीघा में से आवंटित हुई थी। इसी खसरा में प्रार्थीगण के बाद वन विभाग को भूमि आवंटन की गई। प्रार्थीगण को आवंटित भूमि की तरमीम कब्जा काश्त नहीं करते हुए लम्बाई में कर दी गई। जिसमें कुछ हिस्सा में वन विभाग द्वारा पौधारोपण कर दिया गया। एक माह पूर्व वन विभाग के कार्मिक मौके पर आकर भूमि का नाप तौल करवाने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण की भूमि में वन विभाग की एवं वन विभाग की भूमि में प्रार्थीगण की भूमि आ रही है। जिससे प्रार्थीगण की उक्त गलत तरमीम को शुद्ध करवाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री मे प्रस्तुत करना अतिआवश्यक होने से पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:51:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर [illegible] को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 01 [illegible] प्रार्थना पत्र का जबाव अपने पत्रांक 10619 दिनांक [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन [illegible] खसरा संख्या 397 रकबा [illegible] बीघा रक्षित वन क्षेत्र है एवं सीमा पर ख[illegible] 397 / 1 रकबा 62–00 बीघा पक्षकार का एलो[illegible] खसरा है इस सम्बन्ध में [illegible] क्षेत्रीय वन अधिकारी धोरीमना द्वारा उनके पत्र क्रमांक 239 दिनांक 20.08.2019 के द्वारा सीमाज्ञान करवाने का निवेदन तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा दिनांक 20.08.2019 को सीमाज्ञान किया गया। खसरा नम्बर 397 / 1 की नक्सा लट्ठा ट्रेस तरमीम एवं मौके

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

पर खातेदार के कब्जे काश्त में भिन्नता है जिसमें खातेदार हाजी सरादीन, गोराम, तैयाव, सदूका, माली, खादम पि0 शेजू कौम मुसलमान की खातेदारी में इस विभाग के वृक्ष लगे हुए हैं एवं वन क्षेत्र के कुछ भाग पर प्रार्थीगण की ढांणियां बनी हुई है, इस प्रकार तरमीम एवं मौका कब्जा में भिन्नता है। मौके पर हालात को देखते हुए वन विीाग के पेड़ों को क्षति नहीं पहुंचे एवं वन क्षेत्र की सीमा को नुकसान नहींहो तो रक्षित वन क्षेत्र का रकबा कम नहीं और हालात मौका अनुसार तरमीम शुद्धिकरण कर दिया जाता है और प्रार्थीगण संन्तुष्ट हो जावे व वन विभाग को किसी तरह का नुकसान नहीं हो और तरमीम शुद्धिकरण किया जाता है तो इस विभाग को को आपत्ति नहीं है।

भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी से तथ्यात्मक रिर्पोट ली गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा रिर्पोट 230 दिनांक 14.02.2020 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गोरामाणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 397 रकबा 623–07 बीघा एवं वादीगण हाजी वल्द शेखू वगैरा को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 397/1 रकबा 62–00 बीघा का सीमाज्ञान किया गया। मौके पर संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार बिन्दु संख्या A, B, C, D अनुसार वर्तमान नक्शा लट्ठा ट्रेस में खसरा नम्बर 397/1 की तरमीम अंकित है जबकि मौका एवं कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान प्रस्तावित तरमीम E, F, G, H अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

चूंकि विप्रार्थी संख्या 01 उप वन संरक्षक बाड़मेर ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थीगण की भूमि में वन विभाग के वृक्ष लगाना स्वीकार किया है तथा भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी की रिर्पोट अनुसार प्रार्थीगण के वर्तमान कब्जा काश्त एवं लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम में भिन्नता है। वन विभाग व तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम शुद्ध करने हेतु सहमति दी है। तथा तरमीम शुद्ध किये जाने से पक्षकारान की भूमि कम–ज्यादा नहीं हो रही है। अर्थात राजस्व रेकर्ड अनुसार भूमि के रकबा पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त गलत तरमीम प्रार्थीगण के वर्तमान कब्जा काश्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माफिक तहसीलदार की रिर्पोट कमांकः भू0अ0/2020/230 दिनांक 11.02.2020 के संलग्न मौका रिर्पोट व नजरी तरमीम दुरूस्त करने तथा इसी अनुसार रेकर्ड दुरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुड़ामालानी की उक्त मौका रिर्पोट कमांक 230 दिनांक 14.02.2020 निर्णय का अभिन्न रहेगा। तहसीलदार गुड़ामालानी आदेशों की पालना कर पालना रिर्पोट एक माह में पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक ...1.1.2021... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:51:20 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी